राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3112/2024

राजेन्द्र कुमार रणवां **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.10.2024

आदेश की दिनांक : 14.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 30.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :—

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मंडल, देवन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। हाल ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को एफआईआर संख्या 135/2023 दिनांक 25.05.2023 को धारा 376(2)(n), 384, 506 आईपीसी के अंतर्गत पुलिस थाना, जालपुरा, जयपुर में दर्ज की गई। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 11.10.2017 को हुई थी। एफआईआर संख्या 130/2023 भी अपीलार्थी द्वारा भंवरी कुमारी के विरूद्ध धारा 388, 389, 506, 500 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज की गई, जिसमें अपीलार्थी एवं भंवरी कुमारी की मित्रता एवं सहमति के आधार पर दोस्ती हुई। तत्पश्चात् उनका कई बार मिलना एवं शारीरिक संबंध बने और जिसकी वीडियो क्लिप बनाकर अपीलार्थी को डराया धमकाया गया और इस प्रकार दोनों के द्वारा एक—दूसरे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 8792/2023 प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को एंटीसिपेटरी जमानत दी गई। अपीलार्थी रिकार्ड दिनांक 03.11.2023 के अनुसार न तो गिरफ्तार हुआ और न ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया। परंतु फिर भी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया। उनका कथन है कि कार्मिक को दो ही कारणों से निलंबित किया जा सकता है, एक तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो और या तो अपराधिक मामला लंबित हो, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई कारण नहीं है और विधि विरूद्ध निलंबित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14295/2017 बाबूलाल गौड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज किया गया और जिसके क्रम में प्रार्थी को निलंबित किया गया परंतु उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कार्मिक को निलंबित किया जाना उचित नहीं माना है और ऐसे निलंबन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया निलंबन आदेश उक्त विधि के विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि आलोच्य निलंबन आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध जारी किया गया है, वह असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। चूंकि अपीलार्थी जिला जयपुर ग्रामीण में

कार्यरत है और आलोच्य आदेश जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार उक्त आलोच्य आदेश नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 30.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को बहाल करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग को अपील का जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस तामील हुये, परंतु प्रत्यर्थी विभाग को अवसर प्रदान उपरांत भी उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पटवारी के पद पर पटवार मंडल, देवन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। हाल ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2024 के द्वारा निलंबित किया गया है। अपीलार्थी को उसके विरूद्ध एफआईआर संख्या 135/2023 दिनांक 25.05.2023 को धारा 376(2)(n), 384, 506 आईपीसी के अंतर्गत पुलिस थाना, जालपुरा, जयपुर में दर्ज होने के आधार पर निलंबित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को उसके विरूद्ध दर्ज उक्त एफआईआर के आधार पर एवं प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर निलंबित किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा काउंटर एफआईआर एवं एक–दूसरे के द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई हैं और जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को एंटीसिपेटरी जमानत दी गई है, परंतु उक्त मामले के आधार पर किसी भी कार्मिक को निलंबित किया जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14295/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2018 के द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"In view of the above discussion, the exercise of powers under Rule 13(2) of the Rules of 1958 in the facts and circumstances of the case is apparently not justified and otherwise also the nature of allegations does not make out a case for suspending the petitioner during the

pendency of criminal proceedings, the order impugned dated 25/9/2017 (Annex.4) placing the petitioner under suspension cannot be sustained.

Consequently, the writ petition filed by the petitioner is allowed, the order dated 25/9/2017 (Annex.4) passed by the respondents is quashed and set aside."

इसी प्रकार एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10572/2024 महेन्द्र कुमार ढाका बनाम जेविविएनएल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 जिसमें प्रार्थी को उसके विरूद्ध उसके स्वयं के मामले के संबंध में लगाये गये अपराधिक आरोपों के आधार पर विभाग द्वारा निलंबित किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"6. Otherwise also, it is observed that the criminal case lodged against the petitioner is not related to his official duty or in no manner is related to moral turpitude or otherwise for his obnoxious behavior rather it is felt that two neighbours have quarreled on a trivial issue arose out of a question of boundary wall. The pendency of a case against him does not have any nexus with the official duties of the petitioner.

7. Thus, viewing the matter from any angle, particularly, the fact that the very basis of passing the order of suspension is an erroneous fact and, therefore, the same is not sustainable in the eyes of law.

8. Accordingly, the instant Writ Petition succeeds and is allowed. The order dated 24.06.2024 passed by the Executive Engineer, JVVNL, Churu whereby the petitioner has been kept under suspension is hereby quashed and set aside. It is ordered that the petitioner shall be reinstated in service forthwith."

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी के विरूद्ध उसके स्वयं के निजी मामले में लगाये गये आरोपों के आधार पर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबित किया जाना उक्त न्यायिक विनिश्चयों के आधार पर उचित प्रकट नहीं होता है।

जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आलोच्य निलंबन आदेश का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा जारी किया गया है। जबकि अपीलार्थी जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है और हमारे मत में उक्त आलोच्य निलंबन आदेश कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जिला जयपुर ग्रामीण द्वारा ही जारी किया जाना चाहिये, परंतु जो नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य निलंबन आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इस

प्रकार हम उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 30.09.2024 को उक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुये अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के संबंध में पदस्थापन/स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष